[2021] 8 एस. सी. आर. 31

आय आयोग

कर (छूट), कोलकाता

वी.

बटानगर शिक्षा और अनुसंधान विश्वास

(2021 की सिविल अपील संख्या 4451)

02 अगस्त, 2021

[उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: s.12AA-एस के तहत प्रत्यर्थी न्यास का पंजीकरण रद्द करना। 12 एए-मैनेजिंग ट्रस्ट ऑफ ट्रस्ट के बयान से पता चला कि दान चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया था जिसमें से काफी पैसा वापस लिया गया या दानदाताओं को नकद में वापस कर दिया गया-इस प्रकार तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे फर्जी दान थे और इसके तहत उन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया था।

एसएस। 12 ट्रस्ट द्वारा अधिनियम के एए और 80 जी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था-एक ऐसी संस्था जो ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त स्थिति का दुरुपयोग कर रही है। एस. 12 अधिनियम का ए. ए. उक्त स्थिति को बनाए रखने और प्राप्त करने का हकदार नहीं है इसलिए अधिकारी एस. एस. के तहत पंजीकरण को रद्द करने में सही और उचित थे। 12 अधिनियम का एए और 80 जी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे फर्जी दान थे और धारा 12 एए और 80 जी के तहत उन्हें दिया गया पंजीकरण। ट्रस्ट द्वारा अधिनियम का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था। एक संस्था जो अधिनियम की धारा 12 एए द्वारा प्रदत्त स्थिति का दुरुपयोग कर रही है, वह उक्त स्थिति को बनाए रखने और उसका आनंद लेने का हकदार नहीं है। [पैरा 11] [38-डी-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4451

2021 से। 2018 के आई. टी. ए. संख्या 116 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., सुश्री अनिल कटियार, अर्जुन गर्ग, सुश्री विमला सिन्हा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिजीत सेनगुप्ता, दिव्यद्युति बनर्जी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गयाः

उदय उमेश ललित, जे।

1. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है

09-10-2018 कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के आई. टी. ए. संख्या 116 में पारित (i) आयकर आयुक्त (छूट) (संक्षेप में "सी. आई. टी".) द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 12 ए. ए. के तहत प्रत्यर्थी न्यास ("न्यास") का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है; और (ii) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ("न्यायाधिकरण", संक्षेप में) द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, जिससे उत्पन्न होने वाली अपीलों को खारिज कर दिया गया।

2. ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 12 एए के तहत दिनांकित 06.08.2010 के आदेश के तहत पंजीकृत किया गया था और धारा के तहत मंजूरी भी दी गई थी

80 अधिनियम का जी (vi)।

3. स्कूल ऑफ ह्यूमन नामक एक इकाई पर किए गए एक सर्वेक्षण में

जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन हेल्थ, कोलकाता, अधिनियम की धारा 133 ए के तहत, यह प्रथम दृष्टया देखा गया कि ट्रस्ट ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार अपनी गतिविधियों को नहीं चला रहा था। इसलिए सी. आई. टी. द्वारा 04.12.2015 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था।

4. विभाग द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर में न्यास के प्रबंध न्यासी श्री रवींद्रनाथ लाहिड़ी ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए -

कुछ प्रश्न इस प्रकार हैंः

" प्र. 11। कृपया उपर्युक्त की प्रामाणिकता की पुष्टि करें

कार्पस दान।

उत्तर। दान का एक बड़ा हिस्सा जिसे छूट का दावा किया गया था यू/एस 11 (1) (डी) वास्तविक नहीं थे। एफ. वाई. में प्राप्त दान।

2008-09 , 2009-10 और 2010-11 न्यासियों या न्यासियों के करीबी व्यक्तियों या न्यासियों के करीबी व्यक्तियों से प्राप्त वास्तविक कार्पस दान थे। एफ. वाई. 2011-12 और 2012-13 में दान का एक हिस्सा वास्तविक था जैसे आय कर का आई. एम. आर. (छूट), कोलकाता बनाम।

बटानगर शिक्षा और अनुसंधान विश्वास [उदय उमेश ललित, जे.]

पिछले वर्षों में। हालाँकि, इन दो एफ. वाई. में प्राप्त दान का एक बड़ा हिस्सा। 2011-12 और 2012-13, जिसे कार्पस दान के रूप में दिखाया गया है, दो चीजों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवास प्रविष्टियों की प्रकृति में थे।

क) बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए हमें पर्याप्त राशि दिखानी पड़ी।

हमारी तुलनपत्र में पूंजी आरक्षित की राशि। ख) हमें अपने महाविद्यालय के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है। न्यासियों और उनके संपर्कों से वास्तविक दान के साथ छात्रों से प्राप्त शुल्क चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

संस्था।

प्र. 12. आप क्यों कह रहे हैं कि प्राप्त दान का एक बड़ा हिस्सा वास्तविक नहीं था?

उत्तर। उन मामलों में, जिन्हें मैं आवास प्रविष्टियों के रूप में स्वीकार करता हूं, प्राप्त दान का एक हिस्सा मध्यस्थों के माध्यम से दानदाताओं को वापस कर दिया गया था।

प्र. 13. मध्यस्थ कौन थे और पैसे वापस करने के तरीके क्या थे?

उत्तर। हमें निम्नलिखित सात (7) व्यक्तियों को आर. टी. जी. एस. के माध्यम से धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया थाः

1. संतवाना सिंडिकेट

3. कल्याणी एंटरप्राइजेज 4. रिया एंटरप्राइजेज

5. लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स

6. हनुमान व्यापारी

7. रानी सती व्यापार सह प्रा. सीमित

इन भुगतानों को हेड बिल्डिंग के तहत पूंजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया था। प्र. 14. पहले के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि आपको "निर्देश" दिया गया था। आपको यह निर्देश किसने दिया?

उत्तर। मुझे अभी केवल एक ही नाम याद है, वह है श्री गुलाब पिंचा, मोबाइल नंबर 9831015157। वह [2021] 8 एस. सी. आर. प्रदान करने के लिए प्रमुख व्यक्ति थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फर्जी दान का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ जो तुरंत प्राप्त हुआ

भुगतान की आड़ में विभिन्न पक्षों को वापस कर दिया भवन निर्माण में पूंजीगत व्यय की ओर। हम अब किसी भी जानते हैं

दानदाताओं के संबंध में विवरण जिनकी ओर से श्री गुलाब

पिंच ने एक बिचौलिये के रूप में काम किया। श्री पिंचा ने हमें दानदाताओं का विवरण, दान का चेक, कोष दान पत्र आदि प्रदान किए। उन्होंने हमें नाम और बैंक ए/सी भी प्रदान किए। उत्तर 13 में उल्लिखित सात (7) व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें आर. टी. जी. एस. के माध्यम से पैसे वापस करने होते हैं। उन्होंने दानदाताओं की ओर से धन रसीदें/80 जी प्रमाण पत्र भी एकत्र किए।

प्र. 19. 01.04.2014 से लेकर अब तक की अवधि के लिए बही खाते की प्रतिलिपि 04.09.2014 आपके न्यास के "सामान्य कोष" के संबंध में आपको दानदाताओं का विवरण दिखाया जा रहा है ताकि फर्जी दान की पहचान की जा सके।

नकली दानदाताओं के साथ।

उत्तर। इस तरह के खाते में दानदाताओं की सूची देखने के बाद यह समझ में आता है कि जिन दानदाताओं के नाम बड़े अक्षरों में उपशीर्षक "दान-13", "दान-I" और "दान-II" के तहत लिखे गए हैं, जिनकी कुल राशि रु. 6,03,07,550/- है, वे फर्जी हैं।

उपरोक्त सात (7) व्यक्तियों को आरटीजीएस मध्यस्थों के निर्देश "।

5. अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, सी. आई. टी. निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचाः

" 6.1 . विधायिका का इरादा चिकित्सा राहत को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 12 एए और 80 जी के तहत पंजीकरण देने का है ताकि धारा 11 के तहत लाभ दिया जा सके।

गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों, जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना

और समाज के गरीब वर्ग का समर्थन करना। लेकिन बार-बार

इन प्रावधानों का व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए दुरुपयोग किया गया है और न्यासियों/न्यासों और समितियों के सदस्यों का लाभ। सर्वेक्षण यू/एस। 133 निर्धारिती के मामले में आयोजित ए प्रकृति को विस्तृत करता है

और कथित गतिविधियों में लेन-देन की मात्रा।

6.2 . अवैध गतिविधियों की मात्रा और गहराई को देखते हुए

परोपकारी गतिविधियों को करने के लिए संगठनों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए समाज द्वारा निष्पादित और शामिल किया गया, न केवल निर्धारिती समाज खोला गया

आई. टी. अधिनियम के अनुसार प्रावधानों के एकमात्र हितकारी उद्देश्य की अवहेलना करते हुए पंडोरा बॉक्स, लेकिन आई. एम. आर. ऑफ इनकम टैक्स (छूट), कोलकाता बनाम के कारण को भी चुनौती दी।

बटानगर शिक्षा और अनुसंधान विश्वास [उदय उमेश ललित, जे.]

कुछ आवश्यक प्रावधानों को बनाए रखते हुए संवैधानिक प्रावधान

अधिनियम के अनुसार उद्देश्य और वास्तविकता में उल्टा प्रदर्शन करना।

6.3 पैरा 1 से 5 में चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता हैः -

क) निर्धारिती न्यास को रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 1,23,87,550 / - मेसर्स से फर्जी दान के रूप में। स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन हेल्थ और स्वेच्छा से आय के रूप में पेश किया गया। एसएचजी और पीएच ने स्वीकार किया है कि

माननीय के समक्ष आवेदन दायर करके फर्जी लेनदेन

निपटान आयोग, कोलकाता और पुष्टि के माध्यम से दाखिल किया गया।

ख) उन्हें न केवल फर्जी कोष दान प्राप्त हुआ है

एस. जी. एच. जी. और पी. एच. लेकिन अलग-अलग वर्षों में विभिन्न दलों से भी।

ग) सोसायटी/ट्रस्ट ने धारा 12 एए के प्रावधान का घोर दुरुपयोग किया है।

और 80 जी (5) (vi)।

घ) उन्होंने न्यास के उद्देश्यों का उल्लंघन किया है क्योंकि कोष दान के माध्यम से प्राप्त चेक को वस्तुओं से परे नकद में परिवर्तित किया गया है। द.

समाज को हवाला गतिविधियों में शामिल पाया गया।

ई) प्राप्त कार्पस दान स्वैच्छिक नहीं है, केवल एक

आवास प्रविष्टि और काल्पनिक। च) न्यास की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं और साथ ही इसके घोषित उद्देश्यों के अनुसार नहीं की जा रही हैं। निर्धारिती का मामला है

धारा 12 एए (3) के 60 वें अंग के अंतर्गत आता है।

छ) यहां तक कि धन शोधन के माध्यम से निर्धारिती द्वारा की जाने वाली सरल और अवैध गतिविधियाँ भी अवधारणा के दायरे में नहीं आती हैं।

दान की रूपरेखा बनाम सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधि धारा 2 (15) में निर्धारित आयकर अधिनियम की परिकल्पना की गई है।

इसलिए सी. आई. टी. ने सी. टी. की धारा 12 ए. ए. (3) के प्रावधानों को लागू किया और सी. टी. की धारा 12 ए. ए. के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया।

सीटी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012। नतीजतन, मंजूरी दी गई

अधिनियम की धारा 80 जी के तहत भी इसे रद्द कर दिया गया था।

6. न्यायाधिकरण के समक्ष आय अपील Nos.756 और 912/कोल/2016 दायर करके ट्रस्ट द्वारा अपील में मामला चलाया गया था।

अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने

नीचे उल्लिखित किया गया हैः

" 13. हमने प्रतिद्वंद्वी [2021] 8 एस. सी. आर. पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया है।

प्रस्तुतियाँ। एसएचजी और पीएच के सचिव और खजांची के बयानों से यह स्पष्ट है कि वे नकद स्वीकार कर रहे थे और

नकली दान देना। 27.1.2015 पर एसएचजी और पीएच के मामले में किए गए सर्वेक्षण में दर्ज बयान में यह बताया गया कि एसएचजी और पीएच की आय का स्रोत कॉर्पोरेट निकायों से दान के रूप में प्राप्त धन भी था व्यक्तियों के रूप में। उक्त बयान में यह बताया गया था कि लगभग नौ दलाल थे जो एसएचजी और पीएच को चेक/आरटीजीएस के रूप में दान लाते थे। प्राप्त दान को नौ दलालों द्वारा निर्दिष्ट कंपनियों या संगठन के नाम पर चेक/आरटीजीएस जारी करके वापस किया जाएगा। एसएचजी

और पी. एच. दान राशि का 7 या 8 प्रतिशत प्राप्त करेगा। इस तरह के बयान में यह भी कहा गया था कि चूंकि निर्धारिती अधिनियम की धारा 80 जी और धारा 35 के तहत छूट का हकदार था, इसलिए उनके संगठन को दलालों द्वारा एसएचजी और पीएच को दान देने के लिए चुना गया था।

साथ ही एसएचजी और पीएच द्वारा दान देने के लिए। अब तक 27.1.2015 पर दर्ज किए गए बयान में निर्धारिती का नाम नहीं था। हालांकि, सर्वेक्षण के अनुसार एसएचजी और पीएच के मामले में उन्हें दिए गए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई थी। ऐसी कार्यवाही में, श्रीमती. समद्रिता मुखर्जी सरदार (दिनांकित एक पत्र 24.8.2015 में) ने दान की एक सूची दी थी जो उनके द्वारा समतुल्य राशि की नकदी प्राप्त करने के बाद दी गई थी। यह विवादित नहीं है कि उक्त सूची में निर्धारिती का नाम है और यह तथ्य कि एसएचजी और पीएच

निर्धारिती वित्तीय वर्ष 2012-13 में उनसे प्राप्त रु. 1,23,87,550/- की राशि के खिलाफ था। इस स्तर पर भी सभी प्रवेश तीसरे पक्ष द्वारा किए जाते थे और वे बाध्यकारी नहीं थे। निर्धारिती पर। हालाँकि, 24.8.2015 पर निर्धारिती के मामले में किए गए एक सर्वेक्षण में, निर्धारिती के प्रबंध न्यासी ने स्वीकार किया कि उसने नकद दिया और दान वापस प्राप्त किया। हम प्रबंध न्यासी द्वारा दिए गए बयान को पहले ही निकाल चुके हैं। यहां तक कि पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही में भी, निर्धारिती ने निर्धारिती के खिलाफ सभी सबूतों पर कोई रुख नहीं अपनाया है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि सी. आई. टी. (ई) द्वारा विवादित क्रम में निकाले गए निष्कर्ष जो हमने आदेश के पहले भाग में निकाले हैं, सही हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है। अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं थीं और इसलिए उनका पंजीकरण उत्तरदायी है।

यू/एस को रद्द किया जाना है। 12 अधिनियम के ए. ए. (3) को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था और आय कर (छूट), कोलकाता बनाम।

बटानगर शिक्षा और अनुसंधान विश्वास [उदय उमेश ललित, जे.]

सीआईटी (ई) द्वारा। इसलिए हम उनके आदेशों को बरकरार रखते हैं और निर्धारिती की दोनों अपीलों को खारिज करते हैं।

इस दृष्टिकोण के साथ, न्यास द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया।

7. ट्रस्ट पीड़ित होने के कारण, उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आयकर अपील No.116 दायर की। इसके दिनांकित 04.07.2018 आदेश के अनुसार, निम्नलिखित

प्रश्नों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तैयार किया गया थाः

" (i) क्या न्यायाधिकरण और आयकर आयुक्त (छूट) को रद्द करने का निर्देश देना कानूनी रूप से सही था।

धारा 12 एए के तहत दिए गए अपीलार्थी का पंजीकरण

अपीलार्थी ट्रस्ट इस आधार पर कि ट्रस्ट को स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन हेल्थ से फर्जी दान प्राप्त हुआ था?
((ii) क्या अधिनियम की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण के दौरान दर्ज किए गए बयान का कोई संभावित या साक्ष्यात्मक मूल्य है?

8. ट्रस्ट की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि उसे विभिन्न दानदाताओं से दान प्राप्त हुआ था और ट्रस्ट का सत्यापन करने का कोई दायित्व नहीं था।

दाता के धन का स्रोत या क्या वे धन किसी गैरकानूनी गतिविधि के प्रदर्शन से अर्जित किए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि

निधियों का उपयोग न्यास के उद्देश्यों के लिए किया गया था और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उन निधियों का उपयोग किसी अवैध या अनैतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था या यह कि न्यास एक नाम का था और कुछ अन्य गतिविधियाँ थीं।

किया जा रहा था। 9. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील को स्वीकार कर लियाः

" साक्ष्य और उनके समक्ष उद्धृत अधिकारियों के आधार पर

नीचे न्यायनिर्णायक निकाय, हम कहते हैं कि प्रत्यर्थी राजस्व

मामले को स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है ताकि धारा 12 एए (3) के तहत अपीलकर्ता ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द किया जा सके।

अधिनियम। प्रत्यर्थी भी कोई सबूत नहीं दे पाया है।

दानदाताओं की किसी भी अवैध, अनैतिक या अनियमित गतिविधि में अपीलार्थी ट्रस्ट की भागीदारी।

मामले के उस दृष्टिकोण में, हम प्रश्न (i) का उत्तर देते हैं

4 जुलाई 2018 का आदेश नकारात्मक और पक्ष में मूल्यांकनकर्ता। हमें इस मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है

प्रश्न (ii) में उठाया गया।

न्यास के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश है -

एक तरफ रख दें। प्रत्यर्थी को अपना पंजीकरण बहाल करने का निर्देश दिया जाता है

इस आदेश के संचार के तीन सप्ताह के भीतर।

हालाँ

कि, यह [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएगा

भावी गतिविधियाँ।

अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

10. इस अपील में हमने श्री एन. वेंकटरमण, विद्वान एएसजी और विद्वान राणा मुखर्जी, विद्वान वरिष्ठ को अपील के समर्थन में सुना है।

ट्रस्ट के लिए अधिवक्ता।

विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्नावली को दिए गए उत्तर स्पष्ट रूप से न्यास की ओर से एक निश्चित प्रवृत्ति को दर्शाते हैं - नकद में वापसी, कई संस्थाओं से प्राप्त दान।

ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष काफी सही थे

और किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं किया।

11. न्यास के प्रबंध न्यासी द्वारा प्रश्नावली को दिए गए उत्तर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के आधार पर न्यास द्वारा प्राप्त स्थिति के दुरुपयोग की सीमा को दर्शाते हैं।

इन उत्तरों से यह भी पता चलता है कि दान चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया था जिसमें से पर्याप्त धन वापस जुताई गया था या दानदाताओं को नकद में वापस कर दिया गया था। इस प्रकार तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे फर्जी दान थे और अधिनियम की धारा 12 एए और 80 जी के तहत इसे दिए गए पंजीकरण का ट्रस्ट द्वारा पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था। एक संस्था जो अधिनियम की धारा 12 एए द्वारा प्रदत्त स्थिति का दुरुपयोग कर रही है, वह उक्त स्थिति को बनाए रखने और उसका आनंद लेने का हकदार नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 12 एए और 80 जी के तहत पंजीकरण रद्द करने में अधिकारी सही और उचित थे।

12. उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील पर विचार करने में पूरी तरह से गलती की। इसने उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों और क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं, से निपटने का भी प्रयास नहीं किया।

सी. आई. टी. और न्यायाधिकरण किसी भी तरह से गलत या अमान्य थे।

हमारे विचार में, इस अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

13. वर्तमान में चुनौती के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और सी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं। न्यायाधिकरण। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल